ए.

दशरथभाई त्रिकंभाई पटेल

बनाम

हितेश महेंद्रभाई पटेल और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1497)

11 अक्टूबर, 2022

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 -s.138 और s.56 आर/डब्ल्यू एस।15 – परिपक्वता की तारीख को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण-चाहे अपराध यू/एस।138 यदि अनादर किया गया चेक नकदीकरण के समय लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो यह प्रतिबद्ध माना जाएगा।138 तब भी आकर्षित किया जाएगा जब चेक का ड्रॉअर चेक निकालने के बाद ऋण या देयता के लिए आंशिक भुगतान करता है, लेकिन चेक को भुनाने से पहले, चेक के अनादर के लिए जो पूरी राशि का प्रतिनिधित्व करता है-आयोजितःअपराध करने के लिए यू/एस।138, अनादर किए गए चेक को परिपक्वता या प्रस्तुति की तारीख को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व करना चाहिए-यदि चेक का आहरणकर्ता चेक निकाले जाने की अवधि के बीच की राशि का एक हिस्सा या पूरा भुगतान करता है और जब इसे परिपक्वता पर भुनाया जाता है, तो परिपक्वता की तारीख को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण चेक पर दिखाई देने वाली राशि नहीं होगी-जब चेक पर दिखाई गई राशि का एक हिस्सा या पूरी राशि का भुगतान चेक के आहरणकर्ता द्वारा किया जाता है, तो इसे एस में निर्धारित चेक पर अनुमोदित किया जाना चाहिए।56 – भुगतान के साथ समर्थित चेक का उपयोग शेष राशि पर बातचीत करने के लिए किया जा सकता है, यदि कोई हो-यदि समर्थित चेक का अपमान किया जाता है जब इसे परिपक्वता पर भुनाने की मांग की जाती है, तो अपराध यू/एस।138 आकर्षित होगा-तथ्यों पर, पहले प्रत्यर्थी ने ऋण चुकाने के बाद और परिपक्वता पर चेक को भुनाने से पहले आंशिक भुगतान किया-चेक पर दर्शाए गए बीस लाख रुपये की राशि परिपक्वता की तारीख को 'कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण' नहीं थी-इस प्रकार, पहले प्रत्यर्थी को यू/एस के तहत अपराध करने वाला नहीं माना जा सकता है।138 जब अपर्याप्त धन के लिए चेक का अनादर किया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 -s.138 और s.56 आर/डब्ल्यू एस।15 – अभियोजन यू/एस।138 – चेक पर आंशिक भुगतान का अनुमोदन-इसका प्रभाव-आयोजितःजब इस तरह का समर्थन किया जाता है, तब भी शेष राशि पर बातचीत करने के लिए साधन का उपयोग किया जा सकता है।

एच.

522 ए.

523

दशरथभाई त्रिकंभाई पटेल बनाम हितेश महेंद्रभाई पटेल और ए. एन. आर.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 -s.138-'ऋण या अन्य देयता' शब्द का उपयोग 's' में किया जाता है।138 – का अर्थ-चर्चा की गई

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा**,**

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** पूर्ववर्ती मामलों के विश्लेषण के आधार पर**,** निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैंः

बी.

(i) जहां उधारकर्ता एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऋण चुकाने के लिए सहमत होता है और प्रतिभूति के लिए एक चेक जारी करता है**,** लेकिन समय सीमा के भीतर ऋण चुकाने में चूक करता है**,** तो चेक प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व हो जाता है।जब ऋणदाता द्वारा चेक को भुनाने की मांग की जाती है और उसका अनादर किया जाता है**,** तो अधिनियम की धारा **138** आकर्षित की जाएगी**; (ii)** हालांकि**,** जब प्रतिभूति के लिए चेक जारी किया जाता है तो मुख्य नियम यह है कि जिस तारीख को चेक निकाला जाता है और जिस तारीख को चेक परिपक्व होता है**,** उसके बीच ऋण का भुगतान किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है।यह केवल तभी है जब नियत तिथि के भीतर किसी अन्य माध्यम से ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है**,** तो चेक प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व हो जाएगा**;** और **(iii)** यदि ऋण नियत तिथि से पहले

चुका दिया गया है या यदि कोई 'बदली हुई स्थिति' है, तो चेक को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।[पैरा **12] [533-**एफ-एच; **534-**ए-बी]

सी.

डी.

1.2.परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881** की धारा **138** के तहत एक अपराध उत्पन्न होता है यदि चेक परिपक्वता की तारीख पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।धारा **138** के तहत अपराध का संकेत चेक के अपमान से मिलता है जब इसे भुनाने की मांग की जाती है।हालांकि इसके आहरण के समय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पोस्ट-डेट चेक निकाला जा सकता है, अपराध को आकर्षित करने के लिए, चेक को नकदीकरण के समय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।यदि परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है कि चेक में राशि परिपक्वता या नकदीकरण के समय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो धारा **138** के तहत अपराध नहीं किया जाता है।[पैरा **16] [536-**ए-सी]

ई.

एफ.

जी.

2. अधिनियम की धारा **15** सहपठित धारा **56** के तहत, ऋण के आंशिक भुगतान को चेक में या चेक के साथ संलग्न नोट में दर्ज करके समर्थन किया जा सकता है।जब इस तरह का समर्थन किया जाता है, तब भी शेष राशि पर बातचीत करने के लिए साधन का उपयोग किया जा सकता है।यदि बकाया राशि को भुनाने के लिए प्रस्तुत किए जाने पर अनुमोदित चेक का अनादर किया जाता है,

एच.

ए.

तब वादी धारा **138** के प्रावधानों का सहारा ले सकता है।इस प्रकार, जब ऋण का आंशिक भुगतान चेक निकाले जाने के बाद किया जाता है, लेकिन चेक को भुनाने से पहले किया जाता है, तो इस तरह के भुगतान को अधिनियम की धारा **56** के तहत चेक पर अनुमोदित किया जाना चाहिए। आंशिक भुगतान को दर्ज किए बिना चेक को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।यदि प्रस्तुत किए जाने पर अप्रमाणित चेक का अनादर किया जाता है, तो धारा **138** के तहत अपराध आकर्षित नहीं होगा क्योंकि चेक नकदीकरण के समय कानूनी

रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।**[**पैरा **29] [541-**डी**-**एफ**]3.** निष्कर्ष:

बी.

i) धारा **138** के तहत अपराध करने के लिए**,** जिस चेक का अनादर किया जाता है**,** वह परिपक्वता या प्रस्तुति की तारीख को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व करना चाहिए**;**

सी.

((ii) यदि चेक का आहरणकर्ता उस अवधि के बीच की राशि का एक हिस्सा या पूरी राशि का भुगतान करता है जब चेक निकाला जाता है और जब इसे परिपक्वता पर भुनाया जाता है**,** तो परिपक्वता की तारीख पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण चेक पर दर्शाई गई राशि नहीं होगी**; (iii)** जब चेक पर दर्शाई गई राशि का एक हिस्सा या पूरी राशि का भुगतान चेक के आहरणकर्ता द्वारा किया जाता है**,** तो इसे अधिनियम की धारा **56** में निर्धारित चेक पर अनुमोदित किया जाना चाहिए। भुगतान के साथ समर्थित चेक का उपयोग शेष राशि**,** यदि कोई हो**,** पर बातचीत करने के लिए किया जा सकता है।यदि समर्थित चेक का अनादर किया जाता है जब इसे परिपक्वता पर भुनाने की मांग की जाती है**,** तो धारा **138** के तहत अपराध आकर्षित होगा।

डी.

ई.

((iv) प्रथम प्रत्यर्थी ने ऋण चुकाने के बाद और परिपक्वता पर चेक को भुनाने से पहले आंशिक भुगतान किया है।चेक पर दर्शाए गए बीस लाख रुपये की राशि परिपक्वता की तारीख पर 'कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण' नहीं थी।इस प्रकार**,** पहले प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा **138** के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है जब अपर्याप्त धन के लिए चेक का अपमान किया गया था**;** और

एफ.

जी.

(v) 'कथित राशि' के भुगतान की मांग करने वाले नोटिस की व्याख्या इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा चेक राशि के रूप में की गई है।धारा **138** के मूल भाग के अवयवों के अतिरिक्त धारा **138** के प्रावधानों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है।चूंकि इस ए में

एच.

मामले में**,** पहले प्रत्यर्थी ने धारा **138** के तहत कोई अपराध नहीं किया है**,** नोटिस के रूप की वैधता तय करने की आवश्यकता नहीं है।**[**पैरा **30] [541-**जी**; 542-**ए**-**एफ**]**

इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैगनम एविएशन

प्राइवेट लिमिटेड (2014) 12 एससीसी 539:[2014] 5 एससीआर

56; संपेली सत्यनारायण राव बनाम भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड **(2016) 10** एस**.** सी**.** सी**.**

बी.

45 :[2016] 6 एस. सी. आर. 531; श्रीपति सिंह न्यायालय झारखंड राज्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1002; सुनील टोडी न्यायालय गुजरात राज्य [आपराधिक अपील सं. 2021 का 1446]; एन. ई. पी. सी. माइकॉन लिमिटेड न्यायालयमैग्ना लीजिंग लिमिटेड ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1952:[1999] 2 एससीआर 932;

सी.

राहुल बिल्डर्स बनाम अरिहंत फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स

(2008) 2 एससीसी 321:[2007] 11 एस. सी. आर. 951; सुमन सेठी बनाम अजय के. चुरीवाल (2000) 2 एस. सी. सी. 38 और के. आर. इंदिरा बनाम जी. आदिनारायण (2003) 8 एस. सी. सी. 300:[2003] 4 पूरक।एस. सी. आर. 535-संदर्भित।

डी.

जोसेफ सारथो बनाम गोपीनाथन **(2008) 3** के**.** एल**.** जे**. 784;** एलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड बनाम।विनय मित्तल आई**.** एल**.** आर**. (2010) III** दिल्ली **459** और श्री निगम बनाम अनिलभाई

पूरनभाई बंसल [2018] 2 जी. एल. एच. 105-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

ई.

[2014] 5 एससीआर **56**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[2016] 6 एससीआर **531**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[1999] 2 एससीआर **932**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

एफ.

[2007] 11 एससीआर **951**

संदर्भित किया गया है

पैरा **21**

(2000) 2 एससीसी **38**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[2003] 4 पूरक।पैरा **24** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 535**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1497।

जी.

2016 की आपराधिक अपील No.1488 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 12.01.2022 के निर्णय और आदेश से।

महमूद उमर फारूकी, कौसर रजा एफ., अनिक टिम्बालिया, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

एच.

ए.

नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्विश जितेंद्र मलकान, सुश्री धरिता पी. मलकान, आलोक कुमार, सुश्री दीपा गोरसिया, सुश्री खुशबू मलकान, सुश्री भावना सरकार, नारायण लक्ष्मण राव, नील चटर्जी, सुश्री तानसी फोतेदार, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय के 12 जनवरी 2022 के एक फैसले उद्भूत हुई है है। उच्च न्यायालय ने 30 अगस्त 2016 के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ एक अपील को खारिज कर दिया, जिसके द्वारा पहले प्रत्यर्थी को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया था। मूल रूप से, मुद्दा यह है कि क्या अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को किया गया माना जाएगा यदि अनादर किया गया चेक नकदीकरण के समय लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

सी.

तथ्य

डी.

2. 10 अप्रैल 2014 को, अपीलार्थी ने पहले प्रतिवादी-अभियुक्त को अधिनियम की धारा 138 के तहत एक वैधानिक नोटिस जारी किया।यह आरोप लगाया गया था कि पहले प्रत्यर्थी ने 16 जनवरी 2012 को अपीलार्थी से बीस लाख रुपये की राशि उधार ली और दायित्व का निर्वहन करने के लिए 17 मार्च 2014 को उक्त राशि के लिए चेक संख्या 877828 वाला एक चेक जारी किया।यह भी आरोप लगाया गया कि 2 अप्रैल 2014 को पेश किए जाने पर अपर्याप्त धन के कारण चेक का अपमान किया गया था।अपीलार्थी ने पहले प्रत्यर्थी को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया। 20,00,000:

ई.

“इसलिए, मेरा मुवक्किल आपसे रुपये का भुगतान करने का आह्वान करता है। 20,00,000- इस विशेष सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर आपके द्वारा देय और देय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के लिए, [।

एफ.

3. 25 अप्रैल 2014 को, पहले प्रत्यर्थी ने वैधानिक नोटिस के जवाब को संबोधित किया जिसमें उन्होंने निम्नलिखित आरोप लगाएः

जी.

((i) प्रथम प्रत्यर्थी और अपीलार्थी एक-दूसरे से संबंधित हैं।अपीलार्थी के बेटे ने पहले प्रतिवादी की बहन से शादी की;

((ii) अपीलार्थी ने पहले प्रत्यर्थी को चालीस लाख रुपये का ऋण दिया।पक्षों के बीच एक मौखिक समझौता था कि पहला प्रत्यर्थी हर तीन महीने में एक लाख रुपये का भुगतान चेक के माध्यम से करेगा और अपीलार्थी को अस्सी हजार रुपये नकद में देगा।अपीलार्थी को सुरक्षा के लिए दो चेक दिए गए थे।यह सहमति हुई कि जब उधार दी गई राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा तो अपीलार्थी दोनों चेक वापस कर देगा।

बी.

(iii) अपीलार्थी के बेटे ने प्रत्यर्थी की बहन के खिलाफ तलाक की कार्यवाही शुरू की।तथापि, विवाह के समय दिया गया दहेज अभी भी अपीलार्थी के कब्जे में है; और

सी.

(iv) प्रतिभूति के लिए जारी किए गए चेक का अपीलार्थी द्वारा दुरुपयोग किया गया है।

4. 12 मई 2014 को, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की। 19 मई 2014 को, पहले प्रत्यर्थी ने कानूनी नोटिस का एक और जवाब जारी किया।उक्त जवाब द्वारा, कानूनी नोटिस के पहले के जवाब को चालीस लाख रुपये से बीस लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने की पावती को बदलकर संशोधित करने की मांग की गई थी।

डी.

5. 30 अगस्त 2016 के एक फैसले द्वारा, विचारण न्यायालय ने धारा 138 के तहत अपराध के पहले प्रत्यर्थी को इस आधार पर बरी कर दिया कि पहले प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को 8 अप्रैल 2012 और 30 दिसंबर 2013 के बीच बीस लाख रुपये के ऋण के संबंध में अपनी देनदारी का आंशिक रूप से निर्वहन करते हुए रुपये की राशि का भुगतान किया।भुगतानों का विभाजन नीचे दिया गया हैः

ई.

एफ.

जी.

एच.

528

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

विचारण न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा है कि उस पर बीस लाख रुपये का कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण बकाया थाः“इसलिए, वादी की शिकायत ने साबित किया कि आरोपी ने तथ्य के अनुसार देय राशि में से रुपये, 4,09,315 का भुगतान किया है।ताकि जिस दिन वादी ने रुपये की कानूनी राशि की वसूली के लिए बैंक में जमा किया, 20,00,000-न्यायालय का मानना है कि अभियोजन पक्ष उस तथ्य को साबित करने में विफल रहा है।”

बी.

6. अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के फैसले के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर की।10 अक्टूबर 2019 को, पहले प्रत्यर्थी ने 19 मई 2014 के संशोधित जवाब को रिकॉर्ड में रखने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया।11 अक्टूबर 2018 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त साक्ष्य को रिकॉर्ड पर रखने के लिए आवेदन को अनुमति दी।उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी 2022 के अपने फैसले से अपील को खारिज कर दिया, जिससे विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए पहले प्रत्यर्थी को बरी कर दिया गया।उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इस तथ्य की पुष्टि की कि अपीलार्थी को पहले प्रत्यर्थी द्वारा देय ऋण का एक हिस्सा चुका दिया गया था और इस प्रकार अधिनियम की धारा 138 के तहत जारी की गई मांग की सूचना मान्य नहीं है।विश्लेषण के दौरान, निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए गएः

सी.

डी.

(i) अपीलार्थी ने अपनी जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि पहले प्रत्यर्थी ने अपने खाते में रुपये 4,09,315 जमा किए थे;

ई.

((ii) एक वैधानिक धारणा है कि चेक में निकाली गई राशि एक ऋण या देयता है जो चेक के ड्रॉअर द्वारा ड्रॉवी को देय है।प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा किया गया आंशिक भुगतान अपीलार्थी द्वारा जारी वैधानिक सूचना में परिलक्षित होना चाहिए था।चेक में राशि अपीलार्थी को देय राशि से अधिक है।इस प्रकार, धारा 138 के तहत जारी वैधानिक सूचना मान्य नहीं है।यह एक सर्वव्यापी सूचना है क्योंकि इसमें आंशिक भुगतान को मान्यता नहीं दी गई थी; और

एफ.

जी.

(iii) चेक अपीलार्थी द्वारा दिए गए धन के लिए एक प्रतिभूति थी।पहले से किए गए आंशिक भुगतान को पहचाने बिना दिनांकित चेक बैंक को प्रस्तुत किया गया था।

एच.

529

ए.

ए.

प्रस्तुतियाँ

7. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए वकील श्री महमूद उमर फारूकी ने कहा किः

(i) रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि बीस लाख रुपये के ऋण के निर्वहन के लिए रुपये का भुगतान किया गया था।

बी.

((ii) रुपये का भुगतान 4,09,315 चेक जारी होने से पहले था; और

(iii) प्रथम प्रत्यर्थी ने उस राशि का कोई भुगतान नहीं किया जो 15 अप्रैल 2014 को उसे दिए गए वैधानिक नोटिस के बाद से देय थी।

सी.

8. प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री नकुल दीवान ने कहा किः

(i) अधिनियम की धारा 138 में उपयोग किए गए शब्द 'ऋण या अन्य दायित्व' को स्पष्टीकरण खंड में 'कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व' के रूप में परिभाषित किया गया है।इस प्रकार, वैधानिक सूचना में की गई मांग एक ऐसी राशि के लिए होनी चाहिए जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य हो।

डी.

((ii) यदि देनदार ने ऋण के एक हिस्से का भुगतान किया है, तो आंशिक भुगतान की धारा 56 के तहत किसी भी समर्थन के बिना चेक में पूरी राशि के भुगतान की मांग करने वाला एक वैधानिक नोटिस कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं होगा; और

ई.

(iii) चूंकि पहले प्रत्यर्थी ने ऋण के एक हिस्से का भुगतान कर दिया है, इसलिए अपीलार्थी कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता है यदि चेक जो किसी हिस्से के भुगतान की कटौती या समर्थन किए बिना मूल राशि का प्रतिनिधित्व करता है, का अपमान किया गया है।

एफ.

विश्लेषण

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ हमारे विचार के लिए आती हैं।अधिनियम की धारा 138 इस प्रकार हैः

जी.

“138. धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर

खाते में।— जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान के लिए किसी बैंकर के साथ रखे गए खाते पर कोई चेक निकाला जाता है।

किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन,

एच.

बैंक द्वारा भुगतान न किए जाने पर, या तो इस कारण से कि उस खाते में जमा की गई राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या कि वह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है, ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे 8

[एक अवधि जो दो साल तक बढ़ाई जा सकती है] के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो चेक की राशि के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगाः

बी.

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि-(ए) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

सी.

(ख) प्रापक या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक की नियत अवधि में, चेक की वापसी के बारे में बैंक से उसके द्वारा जानकारी प्राप्त होने के [तीस दिनों के भीतर] लिखित रूप में, चेक के ड्रॉअर को नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है; और (ग) इस तरह के चेक का ड्रॉअर, चेक की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, प्राप्तकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

डी.

ई.

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अन्य का ऋण

"देयता" का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य देयता।(जोर दिया गया)

एफ.

10. अधिनियम की धारा 138 में प्रावधान है कि यदि निम्नलिखित अवयवों को पूरा किया जाता है तो चेक के ड्रॉअर को अपराध करने वाला माना जाता हैः

(i) किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान के लिए तैयार किया गया चेक;

जी.

((ii) चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता के 'पूरे या हिस्से' के निर्वहन के लिए तैयार किया जाता है।'ऋण या अन्य दायित्व का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व; और

(iii) अपर्याप्त धन के कारण बैंक द्वारा भुगतान किए बिना चेक वापस कर दिया जाता है।

एच.

ए.

हालाँकि, जब तक परंतुक की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक अपराध को किया हुआ नहीं माना जाता है।परंतुक की शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) चेक को बैंक में उस तारीख से छह महीने के भीतर या इसकी वैधता की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

बी.

((ii) चेक के धारक को बैंक से नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर चेक के दराज को लिखित रूप में नोटिस देकर 'उक्त राशि' के भुगतान की मांग करनी चाहिए कि चेक का अनादर किया गया था; और

सी.

(iii) चेक धारक नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर 'उक्त राशि' का भुगतान करने में विफल रहता है।

11. प्रथम प्रत्यर्थी का प्राथमिक तर्क यह है कि धारा 138 के तहत अपराध नहीं किया गया था क्योंकि अपीलार्थी को भुगतान की जाने वाली राशि, जिस तारीख को चेक को भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, उस राशि से कम थी जिसे चेक में दर्शाया गया था।इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह है कि क्या अधिनियम की धारा 138 तब भी आकर्षित होगी जब चेक का दराज चेक निकालने के बाद ऋण या देयता के लिए आंशिक भुगतान करता है, लेकिन चेक को भुनाने से पहले, चेक के अनादर के लिए जो पूरी राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

डी.

ई.

12. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब पोस्ट-डेटेड चेक जारी होने के बाद आंशिक भुगतान किया जाता है, तो नकदीकरण के समय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण चेक में दर्शाई गई राशि से कम होता है।ऋण जमा होने की तारीख से लेकर चेक को भुनाने की तारीख के बीच आंशिक भुगतान या पूरा भुगतान किया जा सकता है।इस प्रकार, यह महत्वपूर्ण है कि हम इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए पोस्ट-डेटेड चेक और चेक जारी करने पर निर्धारित कानून का उल्लेख करें।

एफ.

सुरक्षा का उद्देश्य।इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैगनम

एविएशन प्राइवेट लिमिटेड 2, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या खरीदारों द्वारा 'अग्रिम भुगतान' के लिए जारी किए गए पोस्ट-डेटेड चेक का अनादर

अधिनियम की धारा 138 द्वारा कवर किया जाएगा यदि खरीद आदेश बाद में रद्द कर दिया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 138 केवल वहाँ लागू होगी जहाँ

जी.

2 (2014) 12 एस. सी. सी. 539

एच.

532

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

उस तारीख को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद है जब चेक दिया जाता है

खींचा जाता है।सैम्पेली सत्यनारायण राव बनाम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड 3 के मामले में, प्रत्यर्थी ने एक

बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए ऋण और प्रतिभूति के लिए तिथि के बाद के चेक दिए गए थे।चेक का अपमान किया गया और धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई।इंडस एयरवेज (ऊपर) को अलग करते हुए, यह माना गया कि धारा 138 के आवेदन के लिए परीक्षण यह है कि क्या चेक में उल्लिखित तिथि पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि उत्तर सकारात्मक है, तो धारा 138 के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा।श्रीपति सिंह बनाम झारखंड राज्य 4 में, इस न्यायालय ने कहा कि यदि कोई चेक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है और यदि देय तिथि से पहले किसी अन्य रूप में ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है या यदि पुनर्भुगतान को स्थगित करने के लिए पक्षों के बीच कोई समझ या समझौता नहीं है, तो चेक प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व हो जाएगाः

बी.

सी.

“17. वित्तीय लेन-देन के अनुसार प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चेक को हर परिस्थिति में कागज का बेकार टुकड़ा नहीं माना जा सकता है।‘प्रतिभूति अपने सही अर्थों में सुरक्षित होने की स्थिति है और ऋण के लिए दी गई प्रतिभूति भुगतान की प्रतिज्ञा के रूप में दी जाती है।यह एक दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है, जमा किया जाता है या प्रतिज्ञा की जाती है जिसके लिए लेन-देन के पक्षकार हैं।

डी.

बंधे हुए हैं।यदि किसी लेन-देन में, ऋण अग्रिम होता है और उधारकर्ता एक निर्दिष्ट समय सीमा में राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है और इस तरह के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में एक चेक जारी करता है; यदि ऋण राशि का भुगतान नियत तारीख से पहले किसी अन्य रूप में नहीं किया जाता है या यदि राशि के भुगतान को स्थगित करने के लिए पक्षों के बीच कोई अन्य समझ या समझौता नहीं है, तो प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया चेक प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व हो जाएगा और चेक का आहरणकर्ता उसे प्रस्तुत करने का हकदार होगा।ऐसे में

ई.

एफ.

प्रस्तुतिकरण, यदि इसका अपमान किया जाता है, तो धारा 138 और एन. आई. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत विचार किए गए परिणाम सामने आएंगे।

18. जब एक चेक जारी किया जाता है और एक समय अवधि के साथ एक राशि के पुनर्भुगतान के लिए 'प्रतिभूति' के रूप में माना जाता है

जी.

पुनर्भुगतान, यह केवल इतना सुनिश्चित करता है कि ऐसा चेक जो 'प्रतिभूति' के रूप में जारी किया जाता है, ऋण से पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

3 (2016) 10 एससीसी 458

एच.

4 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1002 ए

या पुनर्भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली किस्त जिसके लिए ऐसा चेक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है।इसके अलावा, उधारकर्ता के पास ऋण राशि या इस तरह के वित्तीय दायित्व को किसी अन्य रूप में चुकाने का विकल्प होगा और इस तरह से यदि देय और देय ऋण की राशि सहमत अवधि के भीतर चुकाई गई है, तो प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया चेक उसके बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।इसलिए, ऋण का पूर्व निर्वहन या एक परिवर्तित स्थिति होने के कारण जिसके कारण पक्षों के बीच समझ होगी, इस प्रकार जारी किए गए चेक को प्रस्तुत नहीं करना एक अनिवार्य शर्त है।

बी.

सुरक्षा।ये केवल वे बचाव हैं जो एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में चेक खींचने वाले के लिए उपलब्ध होंगे। इसलिए, एक कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है कि एक चेक जो प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है, उसे कभी भी चेक लेने वाले द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।यदि ऐसी समझ है तो एक चेक को 'ऑन डिमांड प्रॉमिसरी नोट' तक कम कर दिया जाएगा और सभी परिस्थितियों में, यह केवल राशि की वसूली के लिए एक दीवानी मुकदमा होगा, जो कानून का इरादा नहीं है।जब कोई चेक जारी किया जाता है, भले ही उसे 'प्रतिभूति' के रूप में जारी किया जाता है, तो उससे निकलने वाले परिणाम के बारे में चेक के ड्रॉअर को भी पता होता है और ऊपर बताई गई परिस्थितियों में यदि चेक प्रस्तुत किया जाता है और उसका अपमान किया जाता है, तो चेक/ड्राए के धारक के पास वसूली के लिए दीवानी कार्यवाही या तथ्य की स्थिति में सजा के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का विकल्प होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, मुकदमे की प्रकृति के संबंध में शर्तों को निर्धारित करना चेक के ड्रॉअर का काम नहीं है।"

सी.

डी.

ई.

(जोर दिया गया**)**

एफ.

पूर्ववर्ती के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैंः

(i) जहां उधारकर्ता एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऋण चुकाने के लिए सहमत होता है और प्रतिभूति के लिए एक चेक जारी करता है, लेकिन समय सीमा के भीतर ऋण चुकाने में चूक करता है, तो चेक प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व हो जाता है।जब ऋणदाता द्वारा चेक को भुनाने की मांग की जाती है और उसका अपमान किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 138 आकर्षित की जाएगी।

जी.

((ii) हालांकि, जब प्रतिभूति के लिए चेक जारी किया जाता है तो कार्डिनल नियम यह है कि जिस तारीख को चेक निकाला जाता है और जिस तारीख को चेक परिपक्व होता है, उसके बीच ऋण दिया जाता है।

एच.

इसे किसी भी अन्य माध्यम से चुकाया जा सकता है।यह केवल तभी होगा जब देय तिथि के भीतर किसी अन्य माध्यम से ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है कि चेक प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व हो जाएगा; और

(iii) यदि ऋण नियत तिथि से पहले चुका दिया गया है या यदि कोई 'बदली हुई स्थिति' है, तो चेक को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

बी.

13. सुनील टोडी बनाम गुजरात राज्य 5 में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने 'ऋण या अन्य दायित्व' वाक्यांश के अर्थ की व्याख्या की।यह देखा गया कि यह वाक्यांश अपने अर्थ में 'वर्तमान दायित्व के कारण भविष्य के दिन भुगतान करने का वादा की गई राशि' लेता है। न्यायालय ने कहा कि ऋण चुकाने के बाद जारी किए गए पोस्ट-डेटेड चेक को 'ऋण' के अर्थ में शामिल किया जाएगा।न्यायालय ने कहा कि धारा 138 में ऐसे मामले भी शामिल होंगे जहां ऋण चेक निकालने के बाद लिया जाता है, लेकिन इसे नकदीकरण के लिए प्रस्तुत करने से पहले।इस संदर्भ में यह देखा गयाः

सी.

डी.

“26. एन. आई. अधिनियम का उद्देश्य चेक की स्वीकार्यता को बढ़ाना और व्यवसाय के लेन-देन के लिए परक्राम्य साधनों की दक्षता में विश्वास पैदा करना है।प्रावधान का उद्देश्य अनुचित हो जाएगा यदि प्रावधान की व्याख्या उन मामलों को बाहर करने के लिए की जाती है जहां ऋण चेक निकालने के बाद लेकिन इसके नकदीकरण से पहले किया जाता है।इंडस एयरवेज में, अग्रिम भुगतान किए गए थे, लेकिन चूंकि खरीद समझौता रद्द कर दिया गया था, इसलिए कोई ऋण लेने का अवसर नहीं था।धारा 138 का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, यदि 'ऋण या अन्य देयता' की व्याख्या केवल एक ऋण को शामिल करने के लिए की जाती है जो चेक निकालने की तारीख पर मौजूद है।इसके अलावा, संसद ने 'ऋण या अन्य दायित्व' अभिव्यक्ति का उपयोग किया है।"या अन्य दायित्व" अभिव्यक्ति का अपना एक अर्थ होना चाहिए, विधायिका ने दो अलग-अलग वाक्यांशों का उपयोग किया है।अभिव्यक्ति 'या अन्य देयता' में एक ऐसी सामग्री होती है जो 'ऋण' से व्यापक होती है और जिसे बाद वाले के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।वर्तमान मामले में, चेक बिजली आपूर्ति शुरू होने के निकट जारी किया गया था। वाणिज्यिक लेन-देन के संदर्भ में चेक जारी करने को व्यावसायिक लेन-देन के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।चेक जारी होने के बाद बिजली की आपूर्ति की गई।यह ठहराने के लिए कि चेक में जारी नहीं किया गया था

ई.

एफ.

जी.

एच.

5 2021 ए की आपराधिक अपील संख्या 1446

535

दशरथभाई त्रिकंभाई पटेल बनाम हितेश महेंद्रभाई पटेल और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]
ए.

एक देयता का संदर्भ जो कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए बकाया का भुगतान करने के लिए ग्रहण किया जा रहा था, व्यावसायिक लेन-देन के साथ प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न करना होगा।यदि कंपनी संतोषजनक एल. सी. प्रदान करने में विफल रहती है और फिर भी बिजली का उपभोग करती है, तो बकाया राशि को पूरा करने के उद्देश्य से चेक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।"

बी.

14. इंडस एयरवेज (ऊपर) से सुनील टोडी (ऊपर) को दिए गए निर्णयों से संकेत मिलता है कि इस बात का अधिकांश विश्लेषण कि क्या प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए पोस्ट-डेटेड चेक अधिनियम की धारा 138 के दायरे में आते हैं, समय की प्रासंगिकता पर निर्भर करता है।इंडस एयरवेज (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 138 के तहत अपराध करने के लिए, चेक जारी करने की तारीख को ऋण होना चाहिए था।हालांकि, बाद के निर्णय पोस्ट-डेटेड चेक के अपमान पर धारा 138 के तहत कार्यवाही की वैधता पर चर्चा करते हुए एक अधिक सूक्ष्म स्थिति अपनाते हैं।सैम्पेली सत्यनारायण राव (उपरोक्त) के बाद से इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि चेक में उल्लिखित तिथि पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण होना चाहिए, जो परिपक्वता की तिथि है।

सी.

डी.

15. एन**.** ई**.** पी**.** सी**.** माइक्रॉन लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय।मैग्ना लीजिंग लिमिटेड **6**

अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को शरारत को दबाने और उपचार को आगे बढ़ाने के विधायी इरादे के संदर्भ में धारा 138 की व्याख्या करनी चाहिए।सामान्य रूप से अधिनियम और धारा 138 का उद्देश्य विशेष रूप से चेक की स्वीकार्यता को बढ़ाना और व्यवसाय के लेन-देन के लिए परक्राम्य उपकरणों की प्रभावशीलता में विश्वास पैदा करना है।7 धारा 138 चेक के अपमान को अपराध मानती है।यह उपलब्ध नागरिक उपचार के अतिरिक्त है।चेक के अपमान के अपराधीकरण के माध्यम से, विधायिका का उद्देश्य एक परक्राम्य साधन के दराज की ओर से बेईमानी को रोकना था।8 धारा 138 की व्याख्या में चेक लेने वाले की भी बेईमानी की अनुमति नहीं होनी चाहिए।भविष्य में ऋण का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में चेक का उपयोग

करने का लाभ प्रदान करने के लिए चेक को प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है।इसलिए, चेक इस विचार के साथ प्रतिभूति के रूप में जारी और प्राप्त किए जाते हैं कि चेक में संबोधित एक भाग या पूरी राशि का भुगतान चेक को भुनाने से पहले किया जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

6 ए. आई. आर 1995 एस. सी 1952

7 सुनील सोधी बनाम गुजरात राज्य, 2021 की आपराधिक अपील संख्या 1446

8 मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1996 (3) क्राइम 82 (एससी)

एच.

16. धारा 138 के उद्देश्य के सहपठित पढ़ने पर पोस्ट-डेटेड चेक पर इस न्यायालय के निर्णय इंगित करते हैं कि प्रावधान के तहत एक अपराध उत्पन्न होता है यदि चेक परिपक्वता की तारीख पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।धारा 138 के तहत अपराध का संकेत चेक के अपमान से मिलता है जब इसे भुनाने की मांग की जाती है।हालांकि इसके आहरण के समय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पोस्ट-डेट चेक निकाला जा सकता है, अपराध को आकर्षित करने के लिए, चेक को नकदीकरण के समय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।यदि परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है कि चेक में राशि परिपक्वता या नकदीकरण के समय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो धारा 138 के तहत अपराध नहीं किया जाता है।

बी.

सी.

17. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि चेक प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा 17 मार्च 2014 को जारी किया गया था।हालांकि, पहले प्रत्यर्थी से प्राप्त रुपये 4,09,315 का भुगतान 8 अप्रैल 2012 और 30 दिसंबर 2013 के बीच था।यह तर्क दिया गया कि चूंकि भुगतान चेक जारी करने से पहले

किए गए थे, इसलिए इसे दायित्व के निर्वहन के लिए आंशिक भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है।

डी.

18. अपीलार्थी ने 17 मार्च 2016 को आयोजित अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसने पहले प्रत्यर्थी को बीस लाख रुपये उधार देने की कोई रसीद नहीं ली थी। अपीलार्थी ने कहा कि 'चेक के खिलाफ चेक' दिया गया था।प्रतिपरीक्षा के प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया हैः

ई.

"[...] मैंने लेखा वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विवरणी का भुगतान कर दिया है।यह सच है कि मैंने उक्त वापसी में बीस लाख रुपये का लेन-देन दिखाया है।मैं बीस लाख रुपये के लेखा वर्ष के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ।

एफ.

अभियुक्त; मैंने रसीद स्वीकार नहीं की है।यह सच है कि मैंने उक्त चेक के खिलाफ चेक दिया है और रसीद नहीं ली है।"

(जोर दिया गया)

जी.

19. अधिनियम की धारा 145 के तहत दर्ज गवाही में, अपीलार्थी ने कहा कि उसने 16 जनवरी 2012 को पहले प्रत्यर्थी को बीस लाख रुपये की राशि उधार दी और प्रत्यर्थी ने बीस लाख रुपये का एक चेक दिया जिसमें कहा गया कि इसे उसमें निर्दिष्ट तिथि पर जमा किया जा सकता हैः

एच.

ए.

"इस मामले के वादी और प्रतिवादी एक वेवाई होने के नाते और उनका घर जैसा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने वादी को डी. टी. डी. पर अपनी आवश्यकता के अनुसार राशि दी है। 16/01/2012 और इस मामले में वादी द्वारा भुगतान की गई राशि के भुगतान के लिए, उसका बैंक भारतीय स्टेट बैंक, ए. यू. डी. ए. गार्डन, प्रहलादनगर शाखा, अहमदाबाद चेक नंबरः8877828 रु. से। 20,00,000-(रुपये)

बी.

केवल बीस लाख**)** और कहा कि उपरोक्त चेक वादी द्वारा उसमें निर्दिष्ट तिथि पर जमा किया गया था जिससे वादी को दृढ़ विश्वास और आश्वासन मिला कि वादी को निश्चित रूप से हमसे देय राशि मिल जाएगी।**" (**जोर दिया गया**)**

सी.

इसके अलावा, प्रतिपरीक्षा में, अपीलार्थी ने कहा कि पहले प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान की गई राशि का भुगतान पुरस्कार या उपहार के रूप में नहीं किया गया थाः

"मैं यह नहीं कह सकता कि क्या आरोपी ने भी मुझे बीस लाख रुपये की गिनती में यह राशि दी है।अभियुक्त ने मुझे वह राशि इनाम/उपहार के रूप में भी नहीं दी।"

डी.

20. यह प्रथम प्रत्यर्थी का तर्क था कि चेक दिनांकित नहीं था।दूसरी ओर, यह अपीलार्थी का तर्क था कि चेक 17 मार्च 2014 का था।नीचे दी गई अदालतों ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या चेक दिनांकित नहीं था या 17 मार्च 2014 का था।हालांकि, यह निर्णायक रूप से माना गया कि चेक पहले प्रत्यर्थी द्वारा उस तारीख को प्रतिभूति के लिए जारी किया गया था जब ऋण लिया गया था।अदालतों द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि बीस लाख रुपये के ऋण को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए पहले प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान की गई राशि का भुगतान किया गया था।अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि जब उसने बीस लाख रुपये की राशि उधार ली थी तो एक 'चेक के खिलाफ चेक' दिया गया था।इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चेक ऋण के निर्वहन के लिए एक प्रतिभूति के रूप में दिया गया था, या तो दिनांकित या 17 मार्च 2014 के रूप में दिनांकित।केवल इसलिए कि रुपये की राशि का भुगतान 8 अप्रैल 2012 और 30 दिसंबर 2013 के बीच किया गया था, जो कि 17 मार्च 2014 के बाद था, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि बीस लाख रुपये के ऋण के निर्वहन में राशि का भुगतान नहीं किया गया था।रुपये की राशि 4,09,315 का भुगतान पहले प्रत्यर्थी को ऋण दिए जाने के बाद किया गया था।अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भुगतान की प्राप्ति से इनकार नहीं किया है।उन्होंने यह भी कहा है कि यह 'उपहार या पुरस्कार' के रूप में प्राप्त नहीं किया गया था।उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, नकदीकरण के समय

ई.

एफ.

जी.

एच.

चेक, प्रथम प्रत्यर्थी पर बीस लाख रुपये की राशि बकाया नहीं थी जैसा कि सुरक्षा के लिए जारी किए गए चेक को भुनाने के समय चेक में दर्शाया गया था।

21. उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कहा कि अपीलार्थी द्वारा जारी किया गया नोटिस एक सर्वव्यापी नोटिस है क्योंकि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।फैसले पर भरोसा

बी.

राहुल बिल्डर्स न्यायालय अरिहंत फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 9,

यह अभिपरंतुक किया गया कि कानूनी नोटिस धारा 138 के परंतुक (बी) के अनुसार जारी नहीं किया गया था क्योंकि यह 'सही राशि' का प्रतिनिधित्व नहीं करता था।अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि धारा 138 के तहत आवश्यकता 'चेक राशि' की मांग करते हुए एक नोटिस भेजना है।यह तर्क दिया गया था कि धारा 138 के तहत अपराध इसलिए किया गया था क्योंकि अपीलार्थी ने वैधानिक नोटिस में बीस लाख रुपये के भुगतान की मांग की थी।

सी.

यह 'चेक राशि' थी।

22. अधिनियम की धारा 138 में कहा गया है कि यदि धन की कमी के कारण बैंक द्वारा भुगतान किए बिना चेक वापस कर दिया जाता है, तो निकासी करने वाले को अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध माना जाएगा। हालांकि, अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध केवल तभी आकर्षित होता है जब प्रावधानों की शर्तों को पूरा किया जाता है।धारा 138 के परंतुक (बी) में कहा गया है कि 'उक्त राशि' के भुगतान की मांग करने वाला नोटिस चेक निकालने वाले द्वारा दिया जाएगा।

डी.

ई.

23. इस न्यायालय ने 'कथित राशि' वाक्यांश की व्याख्या की है क्योंकि यह धारा 138 के परंतुक (बी) में जगह पाता है।सुमन सेठी बनाम अजय के. चुरीवाल 10 में, अपीलार्थी ने पहले प्रत्यर्थी के पक्ष में बीस लाख रुपये का चेक जारी किया।चेक का अनादर किया गया था।चेक राशि से अधिक राशि के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था।इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 'उक्त राशि' के लिए मांग की जानी चाहिए, जो कि चेक राशि है।यह भी देखा

गया कि यह सवाल कि क्या चेक राशि से अधिक राशि की मांग करने वाला नोटिस वैध है, नोटिस की भाषा पर निर्भर करेगाः

एफ.

“8. यह कानून का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि नोटिस को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। नोटिस में, "उक्त राशि" यानी चेक राशि की मांग की जानी चाहिए।यदि ऐसी कोई मांग नहीं की जाती है तो कोई संदेह नहीं है कि नोटिस इसकी कानूनी आवश्यकता से कम होगा।कहाँ?

जी.

9 (2008) 2 एससीसी 321 10 (2000) 2 एससीसी 38 ए

एच.

539

दशरथभाई त्रिकंभाई पटेल बनाम हितेश महेंद्रभाई पटेल और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]
ए.

"कथित राशि" के अलावा ब्याज, लागत आदि के रूप में भी दावा किया जाता है कि क्या नोटिस खराब है, यह नोटिस की भाषा पर निर्भर करेगा।यदि किसी सूचना में दावे का विवरण देते समय चेक राशि, ब्याज, हर्जाना आदि अलग से निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो ब्याज, लागत आदि के लिए ऐसे अन्य दावे अनावश्यक होंगे और ये अतिरिक्त दावे अलग किए जा सकते हैं और सूचना को अमान्य नहीं करेंगे।हालाँकि, यदि नोटिस में यह निर्दिष्ट किए बिना एक सर्वव्यापी मांग की जाती है कि असम्मानित चेक के तहत क्या देय था, तो नोटिस कानूनी आवश्यकता को पूरा करने में विफल हो सकता है और इसे खराब माना जा सकता है।”

बी.

24. के. आर. इंदिरा बनाम जी. आदिनारायण 11 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नोटिस में चेक राशि के भुगतान की नहीं बल्कि ऋण राशि की मांग की गई थी।यह देखा गया कि परंतुक (बी) के प्रयोजनों के लिए, असम्मानित चेक में शामिल राशि की मांग की जानी चाहिए। राहुल बिल्डर्स (ऊपर) में, आहरणकर्ता ने रुपये 8,72,409 के भुगतान की मांग की जो चेक में दर्शाए गए रुपये 1,00,000 की राशि से अधिक थी।यह दोहराया गया कि परंतुक (बी) में 'उक्त राशि का भुगतान' वाक्यांश का अर्थ चेक राशि होगा।चूंकि नोटिस में की गई मांग अलग करने योग्य नहीं थी क्योंकि चेक राशि को अतिरिक्त राशि की मांग से अलग नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह माना गया कि यह एक सर्वव्यापी नोटिस था।न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहाः“10. [...] शर्तों में से एक चेक की राशि के भुगतान की मांग करने वाले नोटिस की सेवा थी जो "उक्त राशि का भुगतान" वाक्यांश के उपयोग से स्पष्ट है।[...] यह कहना एक बात है कि मांग न केवल चेक के

तहत अवैतनिक राशि का प्रतिनिधित्व कर सकती है, बल्कि लागत और ब्याज जैसे अन्य आकस्मिक खर्चों का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि सूचना अस्पष्ट और दो व्याख्याओं में सक्षम होगी।असम्मानित चेक के तहत देय राशि के बारे में निर्दिष्ट किए बिना एक सर्वव्यापी सूचना कानून की आवश्यकता को कम नहीं करेगी।प्रत्यर्थी 1 को उस राशि का भुगतान करने के लिए नहीं कहा गया था जो उसके द्वारा जारी किए गए चेक के तहत देय थी।जिस राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था, वह बिलों की बकाया राशि थी यानी 8,72,409।नोटिस प्राप्तकर्ता को उक्त मांग का जवाब देना था।इसके अनुसार, इसे 8,72,409 रुपये की पूरी राशि की पेशकश करनी थी।शिकायतकर्ता को चेक द्वारा दी गई रुपये की उक्त राशि का भुगतान करने की कोई मांग नहीं की गई थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

11 (2003) 8 एससीसी 300

दिनांकित 30-4-2000।इसलिए जो मांग की गई थी वह पूरी राशि थी न कि उसका हिस्सा।"

25. धारा 138 एक मानहानिकारक अपराध बनाता है।प्रावधानों में चेक के ड्रॉअर को नोटिस का जवाब देने का अवसर और चेक राशि का भुगतान करने का अवसर प्रदान करके उनकी सुरक्षा के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं।प्रावधानों में निर्धारित शर्तों को धारा 138 के मुख्य प्रावधान के अलावा पूरा करने की आवश्यकता है।यह पहले ही ऊपर निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि धारा 138 के तहत अपराध केवल तभी उत्पन्न होता है जब एक चेक जो नकदीकरण के समय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के एक हिस्से या पूरे का प्रतिनिधित्व करता है, बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है।चूँकि चेक नकदीकरण के समय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, इसलिए धारा 138 के तहत अपराध नहीं किया जाता है।

बी.

सी.

26. अपीलार्थी का तर्क है कि अधिनियम की धारा 138 का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि प्रतिभूति के लिए जारी किए गए चेक का अपमान धारा 138 के दायरे में शामिल नहीं है जहां चेक राशि के एक हिस्से का भुगतान किया जाता है।यह तर्क दिया गया था कि इससे ऐसी संभावना पैदा होगी कि चेक का दराज शेष भुगतान पर चूक करते हुए ऋण की एक छोटी राशि का भुगतान करके धारा 138 के तहत अभियोजन से बच सकता है।धारा 56 में कहा गया है कि यदि किसी परक्राम्य लिखत पर यह समर्थन है कि चेक में उल्लिखित राशि के एक हिस्से का भुगतान किया गया है, तो लिखत को शेष राशि के लिए बातचीत की जा सकती है।धारा 56 इस प्रकार हैः

डी.

ई.

“56. देय राशि के हिस्से के लिए इंडोर्समेंट।- ए पर कोई लेखन नहीं

परक्राम्य लिखत बातचीत के उद्देश्य के लिए मान्य है यदि ऐसा लेखन लिखत पर देय प्रतीत होने वाली राशि के केवल एक हिस्से को स्थानांतरित करने का तात्पर्य रखता है; लेकिन जहां ऐसी राशि का आंशिक रूप से भुगतान किया गया है, तो उस आशय का एक नोट लिखत पर लगाया जा सकता है, जिसे बाद में शेष राशि के लिए बातचीत की जा सकती है।”

एफ.

27. धारा 15 'अपमान' वाक्यांश को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः“15. इंडोर्समेंट।- जब किसी परक्राम्य लिखत का निर्माता या धारक, ऐसे निर्माता के अलावा, बातचीत के उद्देश्य से, उसके पीछे या चेहरे पर या उससे संलग्न कागज की पर्ची पर हस्ताक्षर करता है, या उसी उद्देश्य के लिए एक मुहर वाले कागज पर हस्ताक्षर करता है जिसे एक परक्राम्य लिखत के रूप में पूरा करने का इरादा है, तो उसे उसी का समर्थन करने के लिए कहा जाता है, और इसे "अपमान" कहा जाता है।”

जी.

एच.

541

दशरथभाई त्रिकंभाई पटेल बनाम हितेश महेंद्रभाई पटेल और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]
ए.

ए.

28. केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने जोसेफ सारथो बनाम गोपीनाथन 12 मामले में निर्णय दिया है कि चूंकि चेक में प्रतिनिधित्व उस राशि से अधिक राशि के लिए था जो इसे

नकदीकरण के लिए प्रस्तुत करने की तारीख को देय थी, इसलिए चेक के ड्रॉअर को अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दिल्ली का उच्च न्यायालय

एलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड बनाम में इसी मुद्दे को संबोधित किया।

बी.

विनय मित्तल 13.उच्च न्यायालय ने कहा कि जब चेक निकाले जाने के बाद आंशिक भुगतान किया जाता है, तो प्राप्तकर्ता के पास या तो कम की गई राशि के लिए एक नया चेक लेने का विकल्प होता है या चेक पर यह स्वीकार करते हुए समर्थन करने का विकल्प होता है कि आंशिक भुगतान अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि मांग की सूचना, जिसके लिए चेक के ड्रॉअर को नोटिस जारी करने से पहले राशि के खिलाफ आंशिक पुनर्भुगतान प्राप्त करने के बावजूद चेक में दर्शाई गई पूरी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, अधिनियम की धारा 138 (बी) के तहत मान्य नहीं हो सकती है। एक समान दृष्टिकोण उच्च द्वारा लिया गया था

सी.

श्री निगम बनाम अनिलभाई पूरनभाई बंसल 14 में गुजरात का न्यायालय।

डी.

29. अधिनियम की धारा 15 सहपठित धारा 56 के तहत, ऋण के आंशिक भुगतान को चेक में या चेक के साथ संलग्न नोट में दर्ज करके समर्थन किया जा सकता है।जब इस तरह का समर्थन किया जाता है, तब भी शेष राशि पर बातचीत करने के लिए साधन का उपयोग किया जा सकता है।यदि बकाया राशि को भुनाने के लिए प्रस्तुत किए जाने पर अनुमोदित चेक का अनादर किया जाता है, तो आहरणकर्ता धारा 138 के प्रावधानों का सहारा ले सकता है।इस प्रकार, जब ऋण का आंशिक भुगतान चेक निकाले जाने के बाद किया जाता है, लेकिन चेक को भुनाने से पहले किया जाता है, तो इस तरह के भुगतान को अधिनियम की धारा 56 के तहत चेक पर अनुमोदित किया जाना चाहिए। आंशिक भुगतान को दर्ज किए बिना चेक को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।यदि प्रस्तुत किए जाने पर अप्रमाणित चेक का अनादर किया जाता है, तो धारा 138 के तहत अपराध आकर्षित नहीं होगा क्योंकि चेक नकदीकरण के समय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

ई.

एफ.

30. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्षों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

जी.

(i) धारा 138 के तहत अपराध करने के लिए, जिस चेक का अनादर किया जाता है, वह परिपक्वता या प्रस्तुति की तारीख को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का प्रतिनिधित्व करना चाहिए;

12 (2008) 3 के. एल. जे 784

13 आईएलआर (2010) III दिल्ली 459 14 [2018 (2) जीएलएच 105]

एच.

542

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

((ख) यदि चेक लेने वाला चेक निकालने की अवधि और परिपक्वता पर इसे भुनाने के बीच की राशि का एक हिस्सा या पूरा भुगतान करता है, तो परिपक्वता की तारीख को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण चेक पर प्रदर्शित राशि नहीं होगी।

(iii) जब चेक पर दर्शाई गई राशि का एक हिस्सा या पूरा भुगतान चेक के ड्रॉअर द्वारा किया जाता है, तो इसे अधिनियम की धारा 56 में निर्धारित चेक पर अनुमोदित किया जाना चाहिए। भुगतान के साथ समर्थित चेक का उपयोग शेष राशि, यदि कोई हो, पर बातचीत करने के लिए किया जा सकता है।यदि समर्थित चेक का अनादर किया जाता है जब इसे परिपक्वता पर भुनाने की मांग की जाती है, तो धारा 138 के तहत अपराध आकर्षित होगा।

बी.

सी.

((iv) प्रथम प्रत्यर्थी ने ऋण चुकाने के बाद और परिपक्वता पर चेक को भुनाने से पहले आंशिक भुगतान किया है।चेक पर दर्शाए गए बीस लाख रुपये की राशि परिपक्वता की तारीख पर 'कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण' नहीं थी।इस प्रकार, पहले प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है जब अपर्याप्त धन के लिए चेक का अपमान किया गया था; और

डी.

ई.

(v) 'उक्त राशि' के भुगतान की मांग करने वाले नोटिस की व्याख्या इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा चेक राशि के रूप में की गई है।धारा 138 के मूल भाग के अवयवों के अतिरिक्त धारा 138 के प्रावधानों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है।चूंकि इस मामले में, पहले

प्रत्यर्थी ने धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए नोटिस के रूप की वैधता तय करने की आवश्यकता नहीं है।

एफ.

31. ऊपर बताए गए कारणों से, गुजरात उच्च न्यायालय के 12 जनवरी 2022 के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है।32. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

बिभूति भूषण बोस

याचिका खारिज कर दी गई।

एच.